भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4538

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

घटिया सड़कों का निर्माण

4538. श्री नारायण तातू राणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़कों के उचित रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपयुक्त कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में सड़कों को निम्नस्तरीय निर्माण पद्धतियों, भारी वर्षा तथा अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियों के कारण बार-बार क्षति पहुँचती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के संज्ञान में आये ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सड़कों की बार-बार होने वाली क्षति तथा सड़क सतहों की कम टिकाऊपन के मूल कारणों की पहचान करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन अथवा तकनीकी मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे अध्ययन/मूल्यांकन में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अनुरक्षण को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिसके तहत उत्तरदायी अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण एवं मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडो का अनुरक्षण और मरम्मत, जहां विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं या संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) अनुबंध प्रदान किए जा चुके हैं, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/संविदाकारों का उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार, टोल संचालन और अंतरण (टीओटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) के तहत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, अनुरक्षण और मरम्मत का उत्तरदायित्व संबंधित रियायतग्राही की रियायत अवधि के अंत तक बनी रहती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने कार्य-निष्पादन आधारित अनुरक्षण अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक अनुरक्षण अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से अनुरक्षण कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर, उन पर बनी अवसंरचनाओं सहित, होने वाली क्षति विभिन्न कारणों जैसे कि डिज़ाइन के दोषों, मानकों/विनिर्देशों का अनुपालन न करना, अनुचित निर्माण पद्धतियाँ/तकनीकें आदि, इसके अलावा अप्रत्याशित घटनाएँ जैसे भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ आदि से होती है।

विगत तीन वर्षों में अनुरक्षण की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडो (पुलों, पुलियों आदि जैसी संरचनाओं सहित) में ढहने/मुख्य खामियों की घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) - वार विवरण, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की घटनाएं भी शामिल है, और कृत कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के माध्यम से प्रबलित मृदा (आरई) संरचनाओं की विफलताओं का अध्ययन कराया है। पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता के आकलन के लिए उपकरण और वास्तविक समय निगरानी हेतु दिशा-निर्देशों के विकास के लिए आईआईटी रुड़की के माध्यम से एक अन्य अनुसंधान योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षति/विफलता का आकलन करने और ऐसी रिपोर्टों के आधार पर बहाली कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति को मामले-दर-मामले के आधार पर भी लगाया है।

उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

i. निर्माण संबंधी दीवार के प्रावधान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, कार्यस्थल पर मृदा की स्थिति का अनिवार्य अध्ययन।

ii. संविदाकारों/रियायतग्राहियों के विरूद्ध संविदात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई, जो गंभीर विफलताओं के लिए उत्तरदायी हैं।

iii. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों के लिए पहाड़ी ढलान स्थिरता की जांच और लागत प्रभावी दीर्घकालिक स्थिरीकरण उपायों के चयन हेतु मानकीकृत मापदंडों का कार्यान्वयन।

iv. पहाड़ी निर्माण पद्धति को परिष्कृत किया गया है, जिसके अनुसार प्रारंभिक निर्माण केवल पहाड़ी कटाई और ढलान संरक्षण के लिए और बाद में राजमार्ग निर्माण केवल स्थिर कटाई निर्माण और संरक्षण कार्य के बाद ही अनिवार्य है।

v. वास्तविक समय भूस्खलन निगरानी प्रणालियों के लिए आंतरिक ढलान गड़बड़ी की सेंसर उपकरणों पर आधारित निगरानी भी प्रायोगिक (पायलट) आधार पर प्रारंभ की गई है।

अनुलग्नक

'घटिया सड़कों का निर्माण' के संबंध में श्री नारायण तातू राणे द्वारा 10 मार्च, 2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4538 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत तीन वर्षों में अनुरक्षण की अवधि के दौरान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडो (पुलों, पुलियों आदि जैसी संरचनाओं सहित) में हुए ढहने/प्रमुख खामियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार घटनाओं का विवरण, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की घटनाएं भी शामिल हैं, और कृत कार्रवाई का विवरण: -

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
अरुणाचल प्रदेश	1	वर्ष 2021-22 के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में एनएच -713ए और एनएच -13 के पापु - युपिया - होज - पोटिन खंड पर किमी 31.000 (होज मार्केट), किमी 38.300 (याबी गांव), किमी 39.000 (झरना), किमी 39.700 (अप्पा क्रशर) और किमी 40.300 (क्रशर प्वाइंट) पर स्लिप जोन का स्थायी समाधान	2024	आरई दीवार ढह गई	संविदाकार द्वारा शुरू किए गए दोषपूर्ण कार्य का सुधार। संविदाकार पर अनुबंध मूल्य का 5% जुर्माना
आंध्र प्रदेश	2	हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर भारतमाला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड में चिन्ना औटुपल्ली (डिजाइन चैनेज 0+000) से गोलापुडी (डिजाइन चैनेज 30+000) तक विजयवाड़ा बाईपास को छह लेन का बनाना।	2024	आरई दीवार के निर्माण में दोष।	रियायतग्राही ने आरई दीवार विशेषज्ञ की सिफारिश/सुझाव के आधार पर सुधार कार्य शुरू किया। रियायतग्राही से क्षतिपूर्ति के रूप में 10,99,235 /- रुपये वसूल किए गए।
बिहार	3	बिहार राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-31 के सिमरिया-खगड़िया खंड को किमी 206.050 से किमी 266.282 (डिजाइन चैनेज) और (एनएच-31 के मौजूदा चैनेज किमी 209.945 से किमी 270.000 तक) चार लेन का बनाना	2023	सीआरआरआई द्वारा किमी 264.946 पर पुल के अधिसंरचना के कंक्रीट की गुणवत्ता में रिपोर्ट की गई समस्याएं	सीआरआरआई रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार संविदाकार द्वारा मरम्मत कार्य शुरू किया गया
	4	वाराणसी - मोहनिया (जीटीआरआईपी/5; पैकेज - IV ए): उत्तर प्रदेश और बिहार में एनएच-2 पर एनएच-2 के	2023	संरचनात्मक तत्वों में प्रमुख	संविदाकार पर 25 करोड़ रुपये का

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
		किमी 65 से किमी 317 तक मौजूदा 2 लेन खंड को 4 लेन का बनाना		कमियाँ	हर्जाना लगाया गया
छत्तीसगढ़	5	एनएच 200 (नया एनएच 49) (पैकेज-III) पर बिलासपुर उरदावल खंड के किमी 241.553 से 312.60 = 71.0476 किमी (मसनियालाला से रेंगापाली) में पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन (किमी 217.358 पर बोराई नदी एमएनबी)	2025	छोटे पुल के स्लैब को नुकसान	यह कार्य दोष देयता अवधि में है और संविदाकार द्वारा अपने खर्च पर किया गया है।
हरियाणा	6	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 2	2024	रटिंग	प्राधिकरण ने रखरखाव में देरी के लिए संविदाकार पर 48,61,243/- रुपये का हर्जाना लगाया है। संविदाकार द्वारा गड्ढों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है और गड्ढे वाले अधिकांश हिस्से को ठीक कर दिया गया है।
	7	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 3	2024	रटिंग	प्राधिकरण ने रखरखाव में देरी के लिए संविदाकार पर 42,95,049/- रुपये का हर्जाना लगाया है। संविदाकार द्वारा गड्ढों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और गड्ढे वाले अधिकांश हिस्से को ठीक कर दिया गया है।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
गुजरात	8	सांचौर-संतालपुर पैकेज-4	2025	जून माह 2025 में बारिश के बाद गड्ढे, दरारें और सतह विरूपण/समस्या देखी गई, कुछ स्थानों पर गहरी रटिंग हो गई	संविदाकार पर ₹2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एक वर्ष तक या सफलतापूर्वक सुधार होने तक, जो भी बाद में हो, उस पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। संविदाकार ने मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्य शुरू कर दिया है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया गया है।
कर्नाटक	9	एनएच-948 के बेंगलुरू खंड तक बीआरटी टाइगर रिजर्व सीमा को दो/चार लेन का बनाया जाना	2025	किमी 337+670 से किमी 337+680 आरई 10 मीटर लंबाई का ब्लॉक ढह गया	रियायतग्राही ने मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्य शुरू कर दिया है (आईआईएससी बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार।)
	10	मेहकर-अजीसपुर रोड	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार की निष्पादन गारंटी जब्त कर ली गई है। क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
	11	भोकर-सरसम	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
	12	सिल्लोड-फर्दापुर	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	13	महाराष्ट्र राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-17) का किमी 332/200 से किमी 367/200 (वातुल से तालगांव खंड) तक चार लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन।	2024	पीक्यूसी में पूर्ण गहराई वाली दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	14	तलेरे गगनबावड़ा कोल्हापुर रोड (एनएच-166जी) के खंडों का पुनर्स्थापन और उन्नयन, एनएच-166जी के चैनेज 6/00 किमी से चैनेज 11/00 किमी तक और चैनेज 19/300 किमी (करुल घाट की शुरुआत) से 35/300 किमी (गगनबावड़ा के अंत) तक, महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर/2 लेन कॉन्फ़िगरेशन लेन, लंबाई 21.00 किमी तक।	2025	पीक्यूसी में दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	15	महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड पर कराड से तासगांव एनएच 266 पर किमी 0/00 से 58/830 तक पेव्ड सड़क सहित दो लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन	2024	टूटे हुए पैनल	क्षति की भरपाई संविदाकार के जोखिम और लागत पर की जाएगी।
	16	महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच 753 के सलाईखुर्द से तिरोदा किमी 120/100 से 163/200 (डिजाइन किमी 44/00 से 87/00) तक पेव्ड सड़क के साथ दो लेन का उन्नयन	2024	निर्माण के बाद कठोर फुटपाथ में दोष देखे जाते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य और पार्श्व दरारें बनना, केंद्रीय जोड़ों का खुलना, पैनलों का बैठना आदि।	आईआईटी बॉम्बे को दोषों की तकनीकी जांच और उपचारात्मक उपायों के सुझाव के लिए नियुक्त किया गया है।
राजस्थान	17	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस एनई-4 पैकेज 06	2024	गड्ढे, रेनकट, और जल जमाव	रियायत करार के प्रावधान के अनुसार तय समय में कमियों

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
					को ठीक न करने पर हर संविदाकार पर 50 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई।
	18	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पैकेज 07	2024		
	19	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पैकेज 08	2024		
	20	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पैकेज 09	2024		
	21	भारतमाला परियोजना - चरण-I के तहत राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर रारा-754के के संगरिया (चौटाला के पास) - रासीसर (बीकानेर के पास) खंड के किमी 53+000 से किमी 88+000 तक 6-लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण। (एजे/एसआर-पैकेज-3)	2024	83 मी. सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज के उद्घाटन के दौरान नोज़ स्ट्रक्चर में खराबी	संविदाकार पर 1.00 करोड़ रु. की शास्ति लगाई गई और भविष्य में ऐसा करने पर उसे प्रतिबंध की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एनएचएआई के कामों में फैब्रिकेशन टीम और डिज़ाइनर टीम को 02 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना और भविष्य में ऐसा करने उसे प्रतिबंध की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा तैनात सीनियर ब्रिज इंजीनियर को एनएचएआई के कामों में 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
तमिलनाडु	22	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 4	2024	रटिंग और पहुंमार्ग का सेटलमेंट	कमियों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी, खड़गपुर को सौंपा गया है।
	23	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 5	2024	आरई दीवार का उबड़-खाबड़ होना, पहुंचमार्ग का बैठना और उभार होना	अनुरक्षण में देरी के लिए 88.32 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। सीआर आरआई के सुझावों के अनुसार आरई दीवार के उभार को ठीक कर दिया गया है। ज़्यादातर गड्ढे ठीक कर दिए गए हैं। इसके अलावा, ऊपर बताई गई चीज़ों के अलावा, आईआईटी खड़गपुर को कमियों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए लगाया गया है।
	24	दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड संरेखण (रारा-148एन) (पैकेज-16) चै. 427.300 से चै. 452.420) [नयागांव के पास जागीर गांव से राजस्थान/एमपी सीमा तकली नदी पर बड़ा पुल]	2024	यह खंड 30.11.2023 से चालू है और कुछ जगहों पर संरचना के रास्ते में सेटलमेंट देखे गए हैं।	ईपीसी संविदाकार ने नुकसान ठीक कर दिया है।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
	25	राजस्थान के नागौर जिले में रारा-65 पर जोधपुर-अजमेर रोड पर किमी 172.990 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर सी-64 के स्थान पर प्रस्तावित 2-लेन आरओबी और इसके पहुंचमार्ग का निर्माण	2024	काम पूरा होने के बाद, खराब कारीगरी की वजह से आरओबी के डेक स्लैब में हनी कॉम्बिंग की वजह से स्ट्रक्चरल खराबी देखी गई है।	संविदाकार खत्म कर दिया गया है । संविदाकार का निष्कासन सुधार के काम के लिए बोलियां मंगाई गई है।
	26	तंजावुर-त्रिची खंड के किमी 80.000 से किमी 136.490 तक 4-लेन का बनाना	2023	ए1 (तंजावुर) साइड अप्रोच (बाईं ओर) का आरई वॉल पैनल हिस्सा जियो ग्रिड से अलग हो गया है और नीचे गिर गया है।	एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर, संविदाकार ने मिट्टी की कील लगाकर रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया।
उत्तर प्रदेश	27	लखनऊ रिंग रोड पैकेज-3ए	2024	2.886 किमी की लंबाई में पीक्यूसी पैनल में दरारें।	संविदाकार ने नुकसान को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है।
उत्तराखंड	28	उत्तराखंड राज्य में एनएच-134 (पुराना एनएच-94) के साथ पड़ने वाले चैनेज 25.400 किलोमीटर और चैनेज 51.000 किलोमीटर के बीच धरासू - यमुनोत्री खंड पर पहुंचमार्ग सहित 2-लेन द्वि-दिशात्मक सिल्क्यारा बेंड बरकोट सुरंग का निर्माण, संचालन और रखरखाव	2023	सिल्क्यारा टनल में कैविटी ढह गई ।	ईपीसी संविदाकार ने अपने खर्च पर सुधार के उपाय किए। जांच कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
पश्चिम बंगाल	29	ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-32 (लंबाई 10.315 किमी) के पुरुलिया बाईपास खंड के किमी 84.030 से किमी 94.345 तक 4-लेन का निर्माण	2025	नए बने पीक्यूसी में दरारें आ गई हैं।	i) संविदाकार ने सुधार का काम शुरू किया। संविदाकार के बिल से 20.00 लाख रुपये काट लिए गए। ii) एई के खास लोगों को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
	30	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-6 के चिचरा से खड़गपुर किलोमीटर 185.150 से किलोमीटर 134.400 तक को पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन का बनाना , जिसमें किलोमीटर 134.400 से किलोमीटर 129.600 तक मौजूदा चार लेन का सुधार भी शामिल है।	2023	पीक्यूसी पैनलों में दरारें	ईपीसी संविदाकार के रिस्क और कॉस्ट पर रिपेयर किया गया।
ओडिशा	31	एनएच-16 का चंडीखोले-भद्रक खंड	2023	1. किमी 96+326 पर पुल का खराब डिज़ाइन: 2. किमी 79+614 पर पुल: कैंटिलीवर टूटने की वजह से स्पैन ए1-पी1, पियर पी2 से अलग हो गया था घाट का एक हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिर गया था। ग्रिड “पी2” पर	1. किमी 96+326 पर खराब डिज़ाइन के लिए, रियायतग्राही पर 30 लाख रु. और स्वतंत्र इंजीनियर पर 5 लाख रु. की शास्ति लगाई गई। आईई के टीम लीडर और रियायतग्राही के खास लोगों को निलंबित कर दिया गया। किमी 79+614 पर पुल के लिए : संविदाकार पर 5 करोड़ रुपये और पर्यवेक्षण परामर्शदाता पर 20 लाख रु. की शास्ति लगाई गई।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षति/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
				पियर कैप में चौड़ी दरारें (3-4 मिमी तक) दिखना। डेक स्लैब और उखड़े हुए स्पैन के गर्डर को नुकसान।	डीपीआर परामर्शदाता को 1 साल के लिए बैन किया गया। पूरे सुधार के उपायों / पुर्ननिर्माण का खर्च रियायतग्राही से वसूला गया।
